संयुक्त प्रान्त बन्दियों को परिवीक्षा पर छोड़ना अधिनियम, 1938[1]

[संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 8, 1938]

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत

[गवर्नर ने 14 सितम्बर, 1938 को स्वीकृति प्रदान की तथा गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की धारा 75 के अधीन 24 सितम्बर, 1938 को प्रकाशित[2] हुआ।]

प्रान्तीय सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों पर कतिपय बन्दियों को छोड़ने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

यह इष्टकर है कि कतिपय मामलों में बन्दियों को कारावास की उस अवधि के जिसके लिये उन्हें दण्डादिष्ट किया गया हो, समाप्त होने के पूर्व कारागार से सशर्त छोड़ने की व्यवस्था की जाय; अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त बन्दियों को परिवीक्षा पर छोड़ना अधिनियम, 1938 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार[3] सम्पूर्ण [4][उत्तर प्रदेश] में होगा।

(3) यह उस दिनांक[5] को प्रवृत्त होगा जिसे [6][राज्य सरकार] अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करे।

1898 का अधिनियम संख्या 5

सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों पर लाइसेन्स द्वारा छोड़ने की उसकी शक्ति

2–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 401 में किसी बात के होते हुये भी, जहां कोई व्यक्ति कारावास के दण्डादेश के अधीन कारागार में परिरुद्ध हो और उसके पूर्ववृत्त और कारागार में उसके आचरण से [6][राज्य सरकार] को ऐसा प्रतीत हो कि यदि उसे कारागार से छोड़ दिया जाय तो उसके अपराध करने से प्रविरत रहने की तथा शान्तिमय जीवन व्यतीत करने की सम्भावना है, वहां [6][राज्य सरकार] लाइसेन्स द्वारा उसे इस शर्त पर छोड़े जाने की अनुज्ञा दे सकेगी कि उसे किसी सरकारी अधिकारी के या किसी व्यक्ति के जो उसी धर्म का अनुयायी हो जिस धर्म का अनुयायी वह बन्दी है, अथवा किसी ऐसी धर्म निरपेक्ष संस्था के या उसी धर्म की जिस धर्म का अनुयायी वह बन्दी, ही किसी ऐसी सोसाइटी के जिसे [5][राज्य सरकार] द्वारा इस प्रयोजन के लिये मान्यता दी गयी हो, पर्यवेक्षण और प्राधिकार के अधीन रख दिया जाय, यदि ऐसा अन्य व्यक्ति, संस्था अथवा सोसाइटी उसे अपने प्रभार में लेने के लिये सहमत हो।

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये, गजट, 1938 भाग–7 पृष्ठ 152 देखिए।

2. गजट 1938, भाग सात, पृष्ठ 73–74 देखिए।

3. यह अधिनियम इस तालिका के स्तम्भ 4 में उल्लिखित तिथि से तथा स्तम्भ 3 में उल्लिखित विज्ञप्ति (यदि कोई है) के अन्तर्गत, स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियमों अथवा आदेशों के अन्तर्गत उन क्षेत्रों का प्रसारसित किया गया जिनका उल्लेख स्तम्भ 1 में किया गया है :

क्षेत्र	अधिनियम अथवा आदेश जिनके अन्तर्गत प्रसारित किये गये	विज्ञप्ति, यदि कोई हो, जिनके अन्तर्गत प्रभावी किया गया	तिथि जिससे प्रभावी किया गया
1	2	3	4
1–जिला रामपुर	मर्ज्ड स्टेट्स (लाज) ऐक्ट, 1949		31 जुलाई, 1949
2–जिला बनारस	बनारस (अप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1949	सं0 3262(1) (2), दिनांक 30 नवम्बर, 1949	30 नवम्बर, 1949
3–जिला टेहरी गढ़वाल	टेहरी गढ़वाल (अप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1949	,,	,,

4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित।

5. यह अधिनियम 15 जनवरी, 1939 को प्रवृत्त हुआ, गजट 1938 भाग–8 पृष्ठ 1287 पर अधिसूचना संख्या 3436/छः–1651(7)–37 दिनांक 17 दिसम्बर, 1938 देखिये।

6. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्रविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण–इस धार में पद ''कारावास के दण्डादेश'' के अन्तर्गत जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय 8 के अधीन प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास भी है।

1898 की अधिनियम संख्या 5

लाइसेन्स प्रवृत्त रहने की कालावधि

3–धारा 2 के उपबन्धों के अधीन प्रदत्त लाइसेन्स उस दिनांक तक जिस तक कि वह व्यक्ति, जिसे छोड़ा गया है उसके कारावास को प्राधिकृत करने वाले वारन्ट के आदेश के निष्पादन में उस दशा में कारागार से उन्मोचित किया गया होता जब उसे लाइसेन्स पर छोड़ा न गया होता, अथवा जब तक कि लाइसेन्स प्रतिसंहृत न किया जाय, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, प्रवृत्त रहेगा।

दण्डादेश की काटी गई कालावधि को संगणित करने के लिए छोड़े जाने की कालावधि की गणना कारावास के रूप में किया जाना

4–उस कालावधि की जिसके दौरान कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी ऐसे लाइसेन्स पर जो प्रवृत्त हो, कारागार से अनुपस्थित रहे, गणना उसके दण्डादेश की कालावधि संगणित करने के प्रयोजनार्थ तथा दण्डादेश के उस परिहार की मात्रा को संगणित करने के प्रयोजनार्थ जो ऐसे परिहारों के सम्बन्ध में प्रवत्ति किसी नियम के अधीन उसे अधिनिर्णीत किया जा सकता हो, कारावास की उस कालावधि के भाग के रूप में की जायेगी जिसके लिये उसे दण्डादिष्ट किया गया था।

लाइसेन्स का प्रपत्र

5–धारा 2 के उपबन्धों के अधीन प्रदत्त लाइसेन्स ऐसे प्रवत्र में होगा तथा उनमें ऐसी शर्तें अन्तर्विष्ट होंगी जो कि [1][राज्य सरकार] सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अथवा तदर्थ बनाये गये नियमों द्वारा निर्दिष्ट करें।

लाइसेन्स प्रतिसंहृत करने की शक्ति

6–(1) [1][राज्य सरकार] धारा 2 के उपबन्धों के अधीन प्रवृत्त किसी लाइसेन्स को ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे, किसी भी समय प्रतिसंहृत कर सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेन्स इस आधार पर कि उसकी किसी शर्त का उल्लंघन किया गया है, सम्बद्ध व्यक्ति को उस जिले के जिसमें वह उस समय निवास कर रहा हो, जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना प्रतिसंहृत नहीं किया जायेगा।

(2) उप–धारा (1) के उपबन्धों के अधीन दिये गये प्रतिसंहरण के आदेश में वह दिनांक विनिर्दिष्ट होगा जब से लाइसेन्स प्रवृत्त नहीं रह जायेगा और वह उस व्यक्ति पर, जिसका लाइसेन्स प्रतिसंहृत किया गया हो, ऐसी रीति से तामील किया जायेगा जो कि [1][राज्य सरकार] नियम द्वारा विहित करे।

छोड़े गये उन फरार व्यक्तियों का जो पर्यवेक्षण से भाग निकले दण्डनीय होगा

7–(1) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे सरकारी अधिकारी अथवा धर्म–निरपेक्ष संस्था अथवा सोसाइटी या व्यक्ति के, जिसके प्रभार में उसे धारा 2 के उपबन्धों के अधीन रखा गया हो, पर्यवेक्षण या प्राधिकार से भाग निकले, या यदि कोई व्यक्ति जिसका लाइसेन्स धारा 6 के उपबन्धों के अधीन प्रतिसंहृत कर दिया गया हो, प्रतिसंहरण के आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उससे पूर्व उस कारागार को जिससे उसे छोड़ा गया था, बिना वैध कारण के, जिसे साबित करने का भार उसी पर होगा, वापस आने में असफल रहेगा, तो ऐसा व्यक्ति किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा सिद्ध दोष ठहराये जाने पर अपने मूल दण्डादेश के अनवसित भाग को काटने का भागी होगा और वह अतिरिक्त कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी अथवा जुर्माने से जो दो सौ रुपये से अधिक न होगा, अथवा दोनों से, भी दण्डनीय होगा।

1898 की अधिनियम संख्या 5

(2) उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अर्थ के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध समझा जायगा।

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित।

दण्डादेश का परिहार करने की सरकार की शक्ति

8–(1) [1][राज्य सरकार] किसी ऐसे व्यक्ति के जो किसी अधिनियम के अधीन अपराध के लिये कारावास से दण्डादिष्ट हुआ हो, सम्पूर्ण दण्डादेश या उसके किसी भाग का उस दशा में परिहार कर सकेगी जब वह व्यक्ति अच्छे आचरण का होने तथा निवास के बारे में या अन्यथा ऐसी शर्तों का जिन्हें [1][राज्य सरकार] अधिरोपित करे, पालन करने के लिये ऐसी धनराशि का और उतनी अवधि के लिये जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, एक या अधिक प्रतिभुओं सहित बन्द–पत्र निष्पादित करे।

1898 की अधिनियम संख्या 5

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 126, 126–क, 514, 514–क, 514–ख और 515 के उपबन्ध पावत्शक्य, इस धारा के अधीन प्रस्थापित प्रतिभुओं और दिये गये बन्ध–पत्रों की दशा में इस प्रकार लागू होंगे मानों वे उक्त संहिता के अध्याय 8 के अधीन प्रस्तावित किये गये और दिये गये हों :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति, जिससे उक्त संहिता की धारा 126–क या 514–क के अधीन नई प्रतिभूति देने की अपेक्षा की गई हो, उसे देने में असफल रहे, तो [1][राज्य सरकार] उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश को रद्द कर सकेगी और आदेश दे सकेगी कि ऐसे व्यक्ति को अपने अनवसित सम्पूर्ण दण्डादेश या उसके उतने भाग को जो [1][राज्य सरकार] निर्दिष्ट करे, काटना पड़ेगा।

(3) यदि उप–धारा (1) के अधीन छोड़ा गया कोई व्यक्ति अपने बन्ध पत्र की शर्तों का पालन करने में असफल रहे तो [1][राज्य सरकार] कोई ऐसी कार्यवाही करने के अतिरिक्त जो उक्त संहिता के अधीन ऐसे बन्ध–पत्र के संबंध में उसके विरुद्ध या उसके प्रतिभू या प्रतिभूओं के विरुद्ध की जा सकती हों, यह निर्देश दे सकेगी कि उसे फिर से गिरफ्तार किया जाय और उसे उसके अनवसित सम्पूर्ण दण्डादेश को या उसके ऐसे भाग को जो वह निर्दिष्ट करे, काटने के लिये कारागार भेज दिया जाय।

नियम बनाने की शक्ति

9–(1) [1][राज्य सरकार] इस अधिनियम के संगत नियम निम्नलिखित के संबंध में बना सकेगी–

(1) उन लाइसेन्सों के प्रपत्र और शर्तों के लिये जिन पर बन्दियों को छोड़ा जा सकेगा;

(2) धारा 2 में निर्दिष्ट सरकारी अधिकारी की नियुक्ति, संस्थाओं और सोसाइटियों की मान्यता दिये जाने के लिये;

(3) ऐसे सरकारी अधिकारियों, संस्थाओं या व्यक्तियों की जिनके प्राधिकार या पर्यवेक्षण में सशर्त छोड़े गये बन्दी रखे जा सकेंगे, शक्तियों एवं कर्त्तव्यों को परिनिश्चित करने के लिये ;

(4) ऐसे अपराधियों के वर्गों को जिन्हें सशर्त छोड़ा जा सकेगा तथा कारावास की वे कालावधियां जिनके पश्चात् उन्हें इस प्रकार छोड़ा जा सकेगा, परिनिश्चित करने के लिये ;

(5) वह रीति विहित करने के लिये जिससे किसी लाइसेन्स के प्रतिसंहरण का आदेश उन व्यक्ति पर तामील किया जाएगा जिसका लाइसेन्स प्रतिसंहृत किया गया हो;

(6) समान्यतः इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये।

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित।